वित्तीय स्वीकृति

संख्या-53/2016/1404/52-3-16-बजट(17)/2010

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक जुलाई, 2016

विषयः- केन्द्रपुरोनिधानित संघन क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत छात्रावासो एवं विद्यालय भवनो के निर्माण हेतु पूंजीगत धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

□□□□,

उपयुक्त विषयक आपके पत्र सं0-825/□0□□0□□0/□□0□□0/2015 दिनांक 3.5.2016 □□ संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र स0-□□-8-32/2009 □□19 दिनांक 14.6.2010 द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को दृष्टिगत रखते हुये □□□□□□ □0-□□0□0 23/52-3-16-□□□(17)/2010 दिनांक 29.3.2016 द्वारा कुल 22 संस्थाओं में छात्रावासों एवं विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु प्रथम किश्त के अवशेष के रूप में कुल 0 25,68,000/- की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। जिसमे जनपद बलरामपुर की निम्नांकित तीन संस्थाओं हेतु कुल रू0 03,53,000/- की धनराशि सम्मिलित थी, जो ट्रांजेक्शन फेल हो जाने के कारण आहरित न हो सकी थी तथा आपके द्वारा इसे शासन को समर्पित कर दिया गया थाः-

(धनराशि रू0 में)

क्र0	संस्थान/विद्यालय का नाम	प्रथम किश्त के सापेक्ष □□□□ □□□□□ □□ अवमुक्त की गयी
1	2	3
1	अजीजिया माण्टेसरी स्कूल समिति, बलराम□□□	1,02,000
2	□0जी हाशमी इण्टर कालेज सादुल्लानगर, □□□□□□□	1,25,000
3	किसान बालिका इण्टर कालेज सादुल्लानगर बलरामपुर	1,26,000
	□□	3,53,000

इस स्थिति में जनपद बलरामपुर की उक्त तीन संस्थाओं हेतु कुल रू0 03,53,000/- (रू0 तीन लाख तिरेपन हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष अवमुक्त किया जाना अपेक्षित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्रपुरोनिधानित सघन क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु पंूजीगत पक्ष में रू0 03,40,58,000/- □□ □□ व्ययक प्राविधान है जिसके सापेक्ष अभी तक कोई धनराशि स्वीकृत नही की गयी है। उक्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष जनपद बलरामपुर की उक्त तीनों संस्थाओं हेतु गत वर्ष समर्पित धनराशि के समतुल्य कुल रू0 03,53,000/- (रू0 तीन लाख तिरेपन हजार मात्र) पूर्व निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते है।

3. उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु उपलब्ध लेखाशीर्षक- 4202-शिक्षा, □□□□, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-800-□न्य व्यर -01- केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-102- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बालिका उ.म. विद्यालयों हेतु भवनों का निर्माण(के0 100 □□00)-24-बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/□□-1-746/ □□-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□□

<u>संख्या- 1404(1)/52-3-16-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- □□□□□□□□ (लेखा परीक्ष) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□

3- कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□, □0प्र0 □□□□□

4- रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□□

5- वित्त (ई-11) □□□□□/वित्त (3□□-व्ययक) □□□□□-1(02 प्रतियों में)/□□□□□ □□□□□-3 □□□□□ □□□□□/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्य□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in